700 बीघा जमीन घोटाले की फाइल फिर खुली

उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को प्रकरण से जुड़े दस्तावेज 16 मार्च को प्रस्तुत करने के दिए आदेश

दौलत राम ट्रस्ट भूमि मामला

- पूर्व डीजीपी के निर्देश पर एसआइटी ने की जांच, शासन में 'दफन' हो गई रिपोर्ट
- छह साल बाद भी रिपोर्ट का पता नहीं, शासन ने आरटीआइ में भी रिपोर्ट देने से किया इनकार

जागरण संवाददाता, देहरादून: बहुचर्चित दौलत राम ट्रस्ट की 700 बीघा जमीन घोटाले की फाइल फिर खुल गई है। 9 मार्च को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेशित किया है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेज 16 मार्च को प्रस्तुत करे। साथ ही याचिकाकर्ता रीता सूरी ने अदालत से गुहार लगाई है कि करोड़ों रुपये की जमीन घोटाले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 में प्रकरण की जांच तत्कालीन एसएसपी ने की थी लेकिन उन्होंने भी शासन को भेजी अपनी रिपोर्ट में संपूर्ण प्रकरण की जांच स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से करवाने की सिफारिश की थी।

ट्रस्ट की देहरादून के कांसेनटाउन और मालदेवता में करोड़ों रुपये की जमीन थी, लेकिन भूमाफिया ने खुर्द-बुर्द कर दी। अधिवक्ता राजेश सूरी की ओर से वर्ष 2013 में घोटाले की उच्च स्तरीय जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने प्रकरण की जांच करवाई। नवंबर 2014 में अधिवक्ता राजेश सूरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।

इसके बाद जांच ठप हो गई। इसके बाद अधिवक्ता राजेश सूरी की बहन रीता सूरी ने जुलाई 2017 में इस मामले में कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया। दिसंबर 2019 में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने उस समय के एसएसपी को अरुण मोहन जोशी को जांच के निर्देश दिए।

जांच हुई तो कई भूमाफिया होंगे बेनकाब

दौलत राम ट्रस्ट की देहरादून में 700 बीघा जमीन थी, जोकि खुर्द-बुर्द की गई। इसमें कई भूमाफिया है, जिन्होंने साठ-गांठ करके करोड़ों रुपये की जमीन को बेच दिया। भूमाफिया ने जमीन सस्ती दस्तावेज ही गायब करवा दिए। अब यदि प्रकरण की गंभीरता से जांच होती है तो कई भूमाफिया बेनकाब हो सकते है।

एसआइटी ने की थी घोटाले की जांच

जमीन घोटाले की जांच के लिए तत्कालीन एसएसपी अरुण मोहन जोशी की ओर से एसआइटी गठित की गई, जिसमें तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक लोकजीत सिंह, सीओ पीयूष सुजान, निरीक्षक एसआइटी महेश प्रसाद पुजारी व थानाध्यक्ष रक्षा विहार नवीनचंद्र जोशी को शामिल किया गया। एसआइटी ने देहरादून, उत्तर प्रदेश व दिल्ली से कई दस्तावेज एकत्रित किए और रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी गई। वर्ष 2020 में पुलिस मुख्यालय ने जांच रिपोर्ट शासन को भेजी, लेकिन तीन साल बाद भी रिपोर्ट का कहीं अता पता नहीं है।

याचिकाकर्ता को आरटीआइ में भी नहीं दी जांच रिपोर्ट की प्रति

याचिकाकर्ता व आरटीआइ कार्यकर्ता उमाकांत रीता सूरी की ओर से एसआइटी की जांच रिपोर्ट आरटीआइ से लेने के लिए प्रयास किए गए। उन्होंने उत्तराखंड शासन के गृह विभाग से इस संदर्भ में सूचना मांगी, लेकिन शासन ने जवाब भेजा कि जांच अदालत विचाराधीन समय में शासन में विचाराधीन है। ऐसे में अभी जवाब नहीं दिया जा सकता। जब उन्होंने अपील दायर की तो जवाब भेजा गया कि वांछित सूचना इस कारण दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि प्रकरण के संबंध में एसआइटी की ओर से जो जांच आख्या उपलब्ध कराई गई है, उसका वर्तमान में शासन स्तर पर परीक्षण गोपनीय है।

गोकशी में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा

देहरादून: प्रेमनगर स्थित चाय बागान में गोकशी के मामले में अज्ञात के विरुद्ध प्रेमनगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित की तलाश में पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है।

शिकायतकर्ता कुनाल शोवर निवासी प्रेमनगर ने बताया कि बुधवार को उन्हें सूचना मिली कि मोहनपुर पावर हाउस के पीछे चाय बागान में गोवंश के अवशेष मिले हैं। सूचना पर वह टी एस्टेट पहुंचे तो वहां गोवंश के अवशेष पड़े थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोवंश का वध कर अवशेष फेंक दिए। कुछ समय पूर्व भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था।

प्रेमनगर थानाध्यक्ष कुंदन राम ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (जासं)

देहरादून की और भी खबरें पढ़ें
www.jagran.com

144 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा

जागरण संवाददाता, देहरादून: नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) व वसंत विहार थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से 144 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 42 लाख रुपये बताई गई है।

एएनटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि एएनटीएफ टीम ने थाना वसंत विहार पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान मुखबिर निजामुद्दीन अहमद कासमी को गिरफ्तार किया गया। आरोपित मूल रूप से ग्राम कोट खादर, थाना रामपुर माफात, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है।

पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह हेरोइन वह तरुण पाल उर्फ चीनू निवासी पटेलनगर से लाया था। इसे कूटकर में बेचने की तैयारी में था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ वसंत विहार थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर राजपुर रोड स्थित श्रम विभाग के उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त विपिन कुमार को ज्ञापन सौंपते श्रम कांग्रेस कार्यकर्ता • जागरण

टैक्सी-मैक्सी महासंघ ने ज्ञापन सौंपा

देहरादून: उत्तराखंड टैक्सी-मैक्सी महासंघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को परिवहन अनुभाग को ज्ञापन सौंपा। महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने बताया कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट की पार्किंग में टैक्सियों से 345 रुपये पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री से शुल्क कम करने का आग्रह किया गया था। दो मार्च को विभागीय निदेशक और एआरटीओ ऋषिकेश के साथ बैठक हुई थी। एआरटीओ ने शुल्क कम करने की बात की, लेकिन निदेशक ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस संबंध में पत्र भेजा है। ज्ञापन नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी भेजा गया है। (जासं)

बंद कट्टे के अंदर मिली मृतक महिला की नहीं हो पाई पहचान

- पुलिस ने एक सप्ताह की सीसीटीवी फुटेज खंगाली
- बाला सुंदरी मंदिर के निकट कट्टे में मिला था शव

जागरण संवाददाता, देहरादून: बाला सुंदरी मंदिर के निकट जंगल में मिली महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक का चेहरा पूरी तरह से क्षत विक्षत है, जिससे पहचान में कठिनाई हो रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की है, जिसमें एक संदिग्ध की गतिविधि शामिल है, ताकि यह पता चल सके कि महिला को कट्टे में पैक कर कैसे फेंका।

प्रेमनगर थाना पुलिस ने पिछले एक वर्ष में गुम हुई महिलाओं की जानकारी जुटाते हुए उनके परिजनों को परेशान दिखाई है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी थानों में पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार सुबह एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मंदिर के निकट एक प्लास्टिक कट्टे पर मक्खियां लगी हुई हैं और उसमें से बदबू आ रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कट्टा खोला, जिसमें महिला का शव था। शव की पहचान के प्रयास में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। मृतक के हाथ पर जिंदल दुग्ध हुआ है।

मजदूरों की समस्याओं को लेकर श्रम कांग्रेस का प्रदर्शन

- न्यूनतम वेतन और कोचवानों में गाड़ियों का मुद्दा उठाया
- कांग्रेस भवन से जुलूस के रूप में श्रम कार्यालय की ओर कूच

जागरण संवाददाता, देहरादून: मजदूरों की समस्याओं को लेकर श्रम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को श्रम विभाग के उपायुक्त कार्यालय, राजपुर रोड पर प्रदर्शन किया। इसके बाद उपायुक्त विपिन कुमार को ज्ञापन सौंपकर श्रमिकों से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग की। इससे पहले कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में एकत्र हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में श्रम कार्यालय की ओर कूच किया।

श्रम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सिंह कैलाश ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में मजदूरों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है और उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा। कई स्थानों पर मजदूरों से 12 घंटे काम कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें आठ घंटे का भी पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भवन निर्माण से जुड़े कर्मकार मजदूरों के लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता है, लेकिन अधिकांश मजदूर इसके बारे में जानकारी या सुविधा के अभाव में पंजीकरण नहीं करा पाते और दलालों के चक्कर में फंसकर पैसे गंवा रहे हैं। चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। प्रदर्शन में प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोर उनियाल, मुख्य महासचिव दुल्ल केसरी, कांति बहलभ भट्ट, चंद्रपाल, विनोद कुमार, हरीश बेदी, करण बाकड़, गुल मोहम्मद, वीरेंद्र पंवार, राजकुमारी, दीपा, रेनू, उषा चौधरी, नवीन कुमार, सिद्धार्थ भाया, विनियम आदि मौजूद रहे।

मोहब्बेवाला में सीसीटीवी और चंद्रबनी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की मांग

- बाजार की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने दिया ज्ञापन
- कहा- वाहन बढ़ने से तमाशबीन कर रही पुलिस की दुश्वारी

जागरण संवाददाता, देहरादून: राजधानी देहरादून में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन से बाजार व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई है। कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी सिटी को ज्ञापन सौंपकर शहर के प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा और बाजार प्रबंधन से जुड़े कई सुझाव दिए।

ज्ञापन में कहा गया कि शहर में तेजी से बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण बाजार व्यवस्था लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। विशेष रूप से मोहब्बेवाला चौक से दूसरोटे नगर चौक तक का क्षेत्र भारी वाहनों की आवाजाही, ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार के कारण दुर्घटना संभावित बन गया है। हाल ही में मोहब्बेवाला चौक के पास एक ओवरलोड ट्रक पलटने की घटना ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने मोहब्बेवाला चौक पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने और चंद्रबनी चौक पर ट्रैफिक सिग्नल स्थापित करने की मांग की। साथ ही ओवरलोडिंग और ओवरस्पीड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने तथा स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से आवाजाही पालन व्यवस्था को प्रभावी बनाने का सुझाव दिया। इसके अलावा अइएसबीटी फ्लाईओवर के नीचे जिले बसों के ठहराव पर रोक लगाने, बालपुर और प्रिंस चौक जैसे व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाने तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाने की मांग भी उठाई गई।

Kalyan Singh Super Speciality Cancer Institute
C.G. City, Sultanpur Road, Lucknow-(226002)
Website: [illegible], Email: [illegible]

NOTICE

GeM Bid No.: GEM/2026/B/7289402 dated 25.02.2026
(CAMROC of Complete Fire Fighting and Fire Alarm System)
(Corrigendum)

Corrigendum related to the bid has been uploaded on the GeM Portal. Interested bidders may visit the GeM Portal/website (www.cancerinstitute.edu.in) for further details.

Advt No: [illegible] DIRECTOR

दैनिक जागरण रोज पढ़ें रोज जीतें

विचज संख्या: 21

Q1. सुप्रीम कोर्ट ने किसको इच्छामृत्यु की अनुमति दी?
A. हरीश राणा B. रामनाथ सिंह
C. हरेन्द्र मौसल D. नईदा बोरा

Q2. किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका में रिफाइनरी लगाने की घोषणा की है?
A. इंडियन ऑयल B. ऑयल इंडिया
C. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम D. रिलायंस

Q3. टी 20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले स्थान पर कौन बल्लेबाज है?
A. इशान किशन B. संजू सैमसन
C. अभिषेक शर्मा D. सूर्य कुमार यादव

जवाब के मुकाबले से जवाब देने के लिए स्कैन करें

विचज संख्या: 21 के सही जवाब
ANS. Q1. (A), Q2. (B), Q3. (D)

विचज 19 के विजेताओं के नाम

ओम प्रकाश •••••1420, फरीदाबाद	दिव्या •••••22946, दिल्ली
शिवू •••••20414, वाराणसी	[illegible] •••••81478, [illegible]
[illegible] •••••19021, वाराणसी	[illegible] •••••74528, [illegible]
[illegible] •••••20031, [illegible]	[illegible] •••••00805, [illegible]
[illegible] •••••24042, देहरादून	[illegible] •••••42730, गोरखपुर
[illegible] •••••52369, अमृतसर	[illegible] •••••04773, [illegible]
[illegible] •••••78780, फरीदाबाद	[illegible] •••••20164, [illegible]
[illegible] •••••81278, दिल्ली	[illegible] •••••02797, गोरखपुर
[illegible] •••••01005, इंदौर	[illegible] •••••32969, मुंबई
[illegible] •••••01205, देहरादून	[illegible] •••••06420, [illegible]
[illegible] •••••00037, [illegible]	[illegible] •••••20280, [illegible]
[illegible] •••••03036, इंदौर	[illegible] •••••00037, [illegible]
[illegible] •••••50400, [illegible]	[illegible] •••••80306, [illegible]
[illegible] •••••62277, [illegible]	[illegible] •••••327184, [illegible]
[illegible] •••••79444, [illegible]	[illegible] •••••03608, [illegible]

विजेताओं को हार्दिक बधाई

विजेताओं को दैनिक जागरण टीम द्वारा पोस्ट किया जाएगा

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रांच (एआरएमबी), 1, पलटन बाजार, क्लॉक टावर, जिला– देहरादून
ई–मेल: cs8218@pnb.bank.in, मो0 नं0: 9536582435, 9113111048

ई–नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल/अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक** द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर **बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी** ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	डिमांड नोटिस सरफेसी 13(2) के अनुसार / बकाया राशि दिनांक / कब्जे दिनांक सरफेसी 13(4) के अनुसार / कब्जे का प्रकार (सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक)	रिजर्व मूल्य / अर्नेस्ट मनी (EMD) / ईएमडी जमा के अंतिम तिथि / न्यूनतम बोली की वृद्धि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों का ज्ञात प्रभार का विवरण
सरफेसी एक्ट 2002 के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 8(6) एवं नियम (9) के अन्तर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री नोटिस माना जायें।						
1	**शाखा: एआरएमबी, देहरादून (821800)** मैसर्स केपीएस पीवीसी इंडस्ट्रीज (पार्टनर्स द्वारा)। श्री पवन कुमार, श्री सुनील कुमार त्यागी, श्री निशांत त्यागी, श्री कुनाल त्यागी, पंजीकृत ऑफिस पताः प्लॉट नं0 5-6, खसरा नं0 1589, कृष्णा विहार, ग्राम- सलेमपुर महदूद-2, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249407, मैसर्स केपीएस पीवीसी इंडस्ट्रीज (पार्टनर्स द्वारा), श्री पवन कुमार श्री सुनील कुमार त्यागी, श्री निशांत त्यागी, श्री कुनाल त्यागी। यूनिट पताः प्लॉट नं0 150, ग्राम- सिरौली, पोस्ट- असमोली, जिला- सम्भल मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244302, श्री पवन कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार, मकान नं0 347, रायवाली महदूद, हरिद्वार- 249402, श्री सुनील कुमार त्यागी पुत्र श्री भागवत सिंह त्यागी, सी-1, सुभाष नगर, सीतापुर माजरा, ज्वालापुर, हरिद्वार- 249407, श्री निशांत त्यागी पुत्र श्री सुनील कुमार त्यागी, सी-1, सुभाष नगर, सीतापुर माजरा, ज्वालापुर हरिद्वार- 249407, श्री कुनाल त्यागी श्री सुनील कुमार त्यागी, सी-1, सुभाष नगर, सीतापुर माजरा, ज्वालापुर, हरिद्वार- 249407	बंधक एक भूमि खाता संख्या 000923, खसरा संख्या 610, जिसका क्षेत्रफल 1918.263 वर्ग मीटर अर्थात 0.1918 हेक्टेयर (0.2050 हेक्टेयर में से) तथा 0.2184 हेक्टेयर में से 1/5 भाग, कुल 1.092 हेक्टेयर अर्थात 3 बीघा खाम है, स्थित ग्राम बढ़ेड़ी राजपूतान, परगना एवं तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार। उक्त संपत्ति सब-रजिस्ट्रार रुड़की के कार्यालय में बुक नं. 1, वॉल्यूम 167, पृष्ठ संख्या 173 से 196, क्रमांक 10847, दिनांक 18.12.2012 को श्री पवन कुमार पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार के नाम से पंजीकृत है। सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्वः आरोग्यम की भूमि, पश्चिमः अन्य की भूमि, उत्तरः सड़क, दक्षिणः हरि धाम की भूमि।	17.01.2020 रु0 **1,12,21,967.14** (रूपये एक करोड़ बारह लाख इक्कीस हजार नौ सौ सड़सठ एवं चौदह पैसे) + ब्याज एवं अन्य खर्चे- व्य वसूली (यदि कोई हो) दिनांक 01.01.2020 से पूर्ण भुगतान तक 08.07.2020 **(सांकेतिक कब्जा)**	रू0 1,39,00,000/- रू0 13,90,000/- **30.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 1,00,000/-	**30.03.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**ज्ञात नहीं**
2	**शाखा: एआरएमबी, देहरादून (821800)** मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स (प्रोपराइटर द्वारा), श्रीमती बबली त्यागी पत्नी श्री सुधीर त्यागी, कर्नाटक बैंक बिल्डिंग, मालविया चौक रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247667, श्रीमती बबली त्यागी पत्नी श्री सुधीर त्यागी **(प्रोपराइटर)**, मकान नं0 1 वी0पी0ओ0 तांशीपुर रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247667, श्री सुधीर त्यागी पुत्र श्री जगत राम **(गारन्टर),** मकान नं0 1, वी0पी0ओ0 ताशीपुर, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247667	आवासीय सम्पत्ति भूमि माप पूर्व- 43 फीट, पश्चिम- 43 फीट, उत्तर- 23 फीट 2 इंच एवं दक्षिण- 23 फीट 2 इंच, कुल माप क्षेत्रफल 996 वर्ग फीट अर्थात् 92.565 वर्ग मीटर, खसरा नं0 272 एम, स्थित ग्राम- शेखपुरी परगना एवं तहसील रूड़की, जिला- हरिद्वार, विक्रय विलेख बही नं0 1, जिल्द नं0 3322, पेज नं0 79-106, क्र0सं0 9854, दिनांक 03.10.2016, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस रूड़की, सम्पत्ति स्वामी श्री सुधीर त्यागी पुत्र श्री जगत राम के नाम पर पंजीकृत है। सीमाएँ:- पूर्वः अंगूरी का मकान, पश्चिमः अन्य का प्लॉट, उत्तरः सलीम अहमद का प्लॉट, दक्षिणः 10 फीट चौड़ा रास्ता।	25.05.2021 रु0 **74,49,537.61** (चौहत्तर लाख उन्चास हजार पांच सौ सैतीस एवं इक्सठ पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्चे- व्य वसूली (यदि कोई हो) दिनांक 01.05.2021 से पूर्ण भुगतान तक 30.11.2021 **(सांकेतिक कब्जा)**	रू0 22,15,000/- रू0 2,21,500/- **30.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 20,000/-	**30.03.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**बैंक को ज्ञात नहीं**
3	**शाखा: एआरएमबी, देहरादून (821800)** **ऋणीः** मैसर्स कृष्णा बेवरेजेज (पार्टनर द्वार), खसरा नं0 891, ग्राम- दादा पट्टी जलालपुर, परगना भगवानपुर, तहसील-रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247661, श्रीमती कोमल देवी पत्नी श्री अनिल कुमार **(पार्टनर)**, जलालपुर, दादा हल्लू माजरा रूड़की हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247661 एवं श्रीमती मीनाक्षी सैनी पत्नी प्रमोद कुमार **(गारन्टर)**, ग्राम- बंशीवाला मंगलौर जगाधरी, यमुना नगर हरियणा- 244413, श्रीमती रेखा रानी पत्नी श्री अनिल कुमार, कृष्णा कॉलेज कमालपुर फतेहपुर कलसिया रोड छटमलपुर- 247662, श्री अनिल सैनी पुत्र श्री बचना राम, कृष्णा कॉलेज कमालपुर फतेहपुर कलसिया रोड छटमलपुर- 247662	**अचल सम्पत्तिः** बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व भूखंड, निर्मित एवं सुपर स्ट्रक्चर, प्लॉट कुल माप क्षेत्रफल 7350 वर्ग फीट (अर्थात् 683.085 वर्ग मीटर) खसरा नं0 891, स्थित आबादी ग्राम- पट्टी दादा परगना एवं तहसील-भगवानपुर, जिला- हरिद्वार, विक्रय विलेख नं0 2056, दिनांक 18.05.2021, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती कोमल देवी पत्नी श्री अनिल कुमार। सीमाएँ:- पूर्वः श्री अनिल कुमार की सम्पत्ति, पश्चिमः श्री रणधीर की भूमि, उत्तरः 12 फीट चौड़ी चकरोड, दक्षिणः एस0एस0डी0 इंटर कॉलेज।	28.04.2021 रु0 **53,13,001.26** (रूपये तिरेप्पन लाख तेरह हजार एक एवं छब्बीस पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्चे- व्य वसूली (यदि कोई हो) दिनांक 01.04.2021 से पूर्ण भुगतान तक 06.03.2023 **(भौतिक कब्जा)**	**अचल सम्पत्ति** रू0 37,53,000/- रू0 3,75,300/- **30.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 20,000/-	**30.03.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**बैंक को ज्ञात नहीं**
4	**शाखा: एआरएमबी, देहरादून (821800)** **ऋणीः** मैसर्स कृष्णा बेवरेजेज (पार्टनर द्वार), खसरा नं0 891, ग्राम- दादा पट्टी जलालपुर, परगना भगवानपुर, तहसील-रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247661, श्रीमती कोमल देवी पत्नी श्री अनिल कुमार **(पार्टनर)**, जलालपुर, दादा हल्लू माजरा रूड़की हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247661 एवं श्रीमती मीनाक्षी सैनी पत्नी प्रमोद कुमार **(गारन्टर)**, ग्राम- बंशीवाला मंगलौर जगाधरी, यमुना नगर हरियाणा- 244413, श्रीमती रेखा रानी पत्नी श्री अनिल कुमार, कृष्णा कॉलेज कमालपुर फतेहपुर कलसिया रोड छटमलपुर- 247662, श्री अनिल सैनी पुत्र श्री बचना राम, कृष्णा कॉलेज कमालपुर फतेहपुर कलसिया रोड छटमलपुर- 247662	**चल संपत्तिः** समस्त प्लांट एवं मशीनरी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: आर.ओ. प्लांट (1), आर.ओ. जल भंडारण टैंक- 3000 लीटर पीवीसी (1), शुगर सिरप तैयारी टैंक (1), स्पार्कलर फिलर एसएस304 (1), शुगर सिरप स्टोरेज टैंक (1), शुगर सिरप ब्लेंडिंग टैंक (1), बॉयलर नॉन-आईबीआर स्टीम, काउंटर प्रेशर फिलर ऑटोमैटिक PET बोतल (1), श्रिंक रैपिंग मशीन (1), ऑनलाइन चिलिंग यूनिट (1), ऑटोमैटिक कंटीन्यूअस रोल फीड लेबलिंग मशीन (1), CO2 गैस मिक्सिंग यूनिट।	14.09.2023 रु0 **53,13,001.26** (रूपये तिरेप्पन लाख तेरह हजार एक एवं छब्बीस पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य खर्चे- व्य वसूली (यदि कोई हो) दिनांक 01.04.2021 से पूर्ण भुगतान तक 24.11.2023 **(भौतिक कब्जा)**	**चल सम्पत्ति** रू0 27,54,000/- + लागू GST रकम सफल बोली लगाने वाले को चुकानी होगी रू0 2,75,400/- **30.03.2026 शाम 4 बजे तक** रू0 20,000/-	**30.03.2026** सुबह 11:00 बजे से शाम 04.00 बजे तक (5 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ)	**बैंक को ज्ञात नहीं**

नियम व शर्तें : 1. बिक्री सुरक्षा नियम (प्रवर्तन) नियम 2002 और निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। 2. नीलामी की सम्पत्तियों को जहाँ है, जैसा है, जो है के आधार पर बिक्री की जायेगी। 3. अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिय किया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेही नही होगे। 4. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से प्लेटफार्म पर उपलब्ध वेबसाइटः https://baanknet.com/. 5. विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी के लिये आप वेब साईट https://baanknet.com/ पर लॉगिन कर सकते है या नियम व शर्तों की प्रतिलिपि हमारे कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस पर प्राप्त कर सकते है।

सरफेसी ऐक्ट 2002 के नियम 8(6) एवं नियम (9) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक– 12.03.2026 | स्थान– देहरादून | प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक